सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 26.05.2026 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
1	पंचायत आम निर्वाचन, 2026 में होने वाले व्यय संबंधी अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में।	आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2026 के लिए मल्टी पोस्ट ई0वी0एम0 के भंडारण हेतु वेयर हाउस, साज–सज्जा एवं आवश्यक उपकरणों के संयोजन के लिए **आवश्यक राशि का आकलन कर अधियाचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने** हेतु सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाए। जिला से प्राप्त अधियाचना पर प्रशाखा द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए निधि उपलब्ध कराया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–6)
2	जिला परिषद् की भूमि एवं परिसम्पत्तियों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण हेतु समिति का गठन के संबंध में।	जिला परिषद् की भूमि एवं परिसम्पत्तियों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण तथा जिला परिषदों के आंतरिक संसाधन कोष में अभिवृद्धि हेतु एक समिति का गठन किया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होता है। उक्त के आलोक में समिति के गठन से संबंधित प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–10)
3	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में हुए व्यय के विरूद्ध आवंटन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, मधुबनी से दिनांक 24.04.2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला में आयोजित कार्यक्रम में हुए व्यय के संबंध में आवंटन उपलब्ध कराये जाने के आलोक में विचार–विमर्श किये जाने हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने से संबंधित प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–13)
4	अनुरक्षकों के मानदेय के संबंध में।	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख प्रारूप उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–3)
5	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि0 के Liability का आकलन।	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि0 (अकार्यरत) अंतर्गत कुल **Liability** का आकलन कर बजट उपबंध के संदर्भ में संचिका उपस्थापित किया जाए। **(अनुपालन– प्रबंध निदेशक, बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि0)**
6	जिला समाहरणालय परिसर में CMS Dashboard का अधिष्ठापन के संबंध में।	1. सभी जिला में जिला समाहरणालय परिसर के **Prominent** स्थान पर आमजनों को विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना की जानकारी हेतु **CMS Dashboard** अधिष्ठापित किया जाना था। उक्त के संबंध में बताया गया कि मात्र 25 जिलों द्वारा **CMS Dashboard** अधिष्ठापित किया गया है। शेष 13 जिला, जहाँ **CMS Dashboard** अधिष्ठापित नहीं किया गया है, के जिला पंचायत राज पदाधिकारी से विभागीय निदेश की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की जाए। 2. विभाग द्वारा बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद **CMS** एजेंसी **M/S. Amnex Infotechnologies Pvt. Ltd.** द्वारा **CMS Portal** पर सही डाटा प्रदर्शित नहीं की जा रही है, जिसके संबंध में क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा भी विभिन्न बैठकों में विभाग को अवगत कराया गया है। विभाग द्वारा नियमित रूप से शुक्रवार को सोलर स्ट्रीट लाईट का **Random Verification**

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
		में प्राप्त डाटा के विश्लेषण से भी **CMS Portal** पर प्रदर्शित डाटा तार्किक प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त के आलोक में ब्रेडा, पटना द्वारा **CMS** एजेंसी **M/S. Amnex Infotechnologies Pvt. Ltd.** के विरूद्ध एकरारनामा के शर्त्तों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई (**Debar** किये जाने सहित) सुनिश्चित करने हेतु संचिका उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–3)
7	पंचायत सरकार भवन से संबंधित।	1. राज्य अंतर्गत **वैसे पंचायत, जिसमें पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति अब तक नहीं हुई है**, के संबंध में संलेख तैयार कर एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से उपस्थापित किया जाए। 2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों (जलग्रह क्षेत्र) में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन (नक्शा सहित) तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो अबतक अप्राप्त है। उक्त के संबंध में मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के साथ बैठक आयोजित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
8	निर्मित पंचायत सरकार भवनों में आधार केन्द्र की स्थापना।	समीक्षा बैठक के क्रम में पाया गया कि **कार्यपालक सहायक** को UIDAI / **प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित अनिवार्य प्रमाणन (Certification for Aadhaar enrollment and updates)** एवं ग्राम पंचायतों द्वारा Aadhaar Kit, Internet इत्यादि की व्यवस्था **की गति अत्यंत धीमी है।** पंचायत सरकार भवनों में आधार केन्द्र स्थापित कर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में विचार–विमर्श हेतु **UIDAI** के निदेशक, राज्य स्तरीय कार्यालय के साथ बैठक आयोजित की जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2 एवं अनुश्रवण कोषांग)
9	CCTV का अधिष्ठापन	प्रत्येक राजस्व ग्राम के Entry Point एवं Exit Point पर CCTV का अधिष्ठापन किया जाना है। उक्त के संबंध में CCTV अधिष्ठापन की संख्या, Specification, Estimate, मरम्मति कार्य इत्यादि के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर विचार–विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– अनुश्रवण कोषांग)
10	जिला स्तर पर मोक्षधाम का निर्माण कराये जाने के संबंध में।	जिला स्तर पर प्रमुख मोक्षधाम / श्मशान घाट / शवदाह गृह निर्माण के लिए जिला स्तरीय प्रमुख शवदाह घाट की सूची उपलब्ध कराने हेतु दूरभाष पर सम्पर्क कर पुनः सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–2 एवं प्रशाखा–10)
11	ग्रामीण हाट–बाजार विकसित करने के संबंध में।	सात निश्चय–3 अंतर्गत ग्रामीण हाट–बाजार विकसित किये जाने के संबंध में **प्रस्ताव** एवं जिला को भेजा जाने वाला **मार्गदर्शिका** से संबंधित संचिका माननीय मंत्री के समक्ष विचाराधीन है। माननीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत शीघ्रातिशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–3)
12	NIC, Patna द्वारा विकसित की जा रही मॉड्यूल की अद्यतन	NIC, Patna द्वारा ई–पंचायत बिहार पोर्टल, PRD Nishchaysoft, ई–ग्राम कचहरी एवं ऑडिट ऑनलाईन से संबंधित मॉड्यूल में की जा रही कार्रवाई की अद्यतन प्रगति से अवगत कराये जाने हेतु

क्र0सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
	प्रगति के संबंध में।	राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना के साथ बैठक आयोजित की जाए। बैठक में उपर्युक्त मॉड्यूल से संबंधित प्रशाखा NIC, Patna को अपनी requirement उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक तैयारी के साथ भाग लेंगे। **(अनुपालन– अनुश्रवण कोषांग एवं सभी प्रशाखा)**
13	**वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी / अंकेक्षण पदाधिकारी / SQM/DQM की सेवा संविदा पर लिये जाने के संबंध में।**	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी / अंकेक्षण पदाधिकारी / SQM/DQM की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन की जाँच (Scrutiny) कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई किये जाने हेतु संचिका उपस्थापित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–3 एवं प्रशाखा–7)**
14	**MJC/ LPA/SLP के संबंध में।**	सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रशाखा अंतर्गत MJC/LPA/SLP इत्यादि के लंबित मामलों की समीक्षा कर विभागीय पैनल अधिवक्ता के माध्यम से Counter Affidavit तैयार कराकर समयावधि में दायर कराना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन– सभी प्रशाखा)**
15	**ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराये जाने हेतु एजेंसी का चयन कर दिनांक 16.03.2026 को LOA निर्गत किया गया था, जिसके अनुसार 3 महीने के अन्दर एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराया जाना था। उपर्युक्त के आलोक में एजेंसी को विहित समयावधि में ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर एवं Accessories उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाए। **(अनुपालन– परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)**

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

29/5/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 8318 / पं०रा० पटना, दिनांक 29 / 5 / 2026

प्रतिलिपिः निदेशक / परियोजना निदेशक / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / अवर सचिव / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / प्रभारी अनुश्रवण कोषांग / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 8318 / पं०रा० पटना, दिनांक 29 / 5 / 2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 8318 / पं०रा० पटना, दिनांक 29 / 5 / 2026

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव